



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 (29 अग्रहायण, शक संवत् 1945)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.
सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री गोपाल भार्गव) पीठासीन हुए.

1. शपथ / प्रतिज्ञान

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे. तदनुसार, आज 5 माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान कर सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

2. स्वागत उल्लेख

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री वी.डी. शर्मा, सांसद तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री हितानंद शर्मा, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री की उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया गया.

3. अध्यक्ष का निर्वाचन

- (1) डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि : -
“श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय.”
श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (2) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
“श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय.”
श्री प्रहलाद सिंह पटैल, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
“श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय.”
श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (4) श्री अजय सिंह, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका.
- (5) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
“श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय.”
श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (6) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
“श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय.”
श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.
- (7) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि : -
“श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय.”
श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया तथा उन्हें अध्यक्षीय आसंदी पर आसीन होने के लिये आमंत्रित किया।

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष तथा पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को अध्यक्ष की आसंदी पर आसन ग्रहण कराया गया।

4. माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष एवं सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल, रामनिवास रावत, गिरीश गौतम, गोपाल भार्गव, डॉ. सीतासरन शर्मा, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, भूपेन्द्र सिंह, अजय विश्वाई, राकेश सिंह, हेमन्त सत्यदेव कटारे, ओमकार सिंह मरकाम, विश्वास सारंग, सदस्यगण द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष महोदय को उनके निर्वाचन पर बधाई दी गई।

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में उनके प्रति व्यक्त उद्गारों के लिए माननीय सदस्यगण के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई।

सदन द्वारा राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

5. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

अपराह्न 12.32 बजे, श्री मंगूभाई पटेल, राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ। राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण के पश्चात् अपराह्न 1 बजे चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि “राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण के अधिकांश पैराग्राफ पढ़े गए हैं। शेष समस्त पैराग्राफ पढ़े हुए एवं अभिभाषण पटल पर रखा माना जाएगा।”

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:-

‘राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं’

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, सदस्य ने इसका समर्थन किया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 का समय नियत किया गया। तदनुसार, माननीय सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को अपराह्न 4 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दिये जा सकते हैं।

7. महापुरुषों के छायाचित्र सदन में लगाये जाने के संबंध में उल्लेख एवं अध्यक्षीय घोषणा

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी से अनुमति लेकर उल्लेख किया कि – इतिहास के जिन महापुरुषों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है जिनमें पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री भगत सिंह, श्री सुभाषचंद्र बोस डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य महापुरुष हैं। इन सभी के छायाचित्र लोक सभा में भी लगे हैं, उन सभी के छायाचित्र इस सभा कक्ष में भी लगाने की अनुमति प्रदान की जाए।

सर्वश्री श्री गोपाल भार्गव एवं विश्वास कैलाश सारंग, सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि - इस सदन की यह परम्परा नहीं है कि अभिभाषण के बाद इस तरह की चर्चा की जाए, यह सदन परम्परा से चलता है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर एक दिन का समय नियत किया है तब इसकी चर्चा कर सकते हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने यह सुझाव दिया कि - पूरा सदन सभी महापुरुषों का सम्मान करता है. चाहे वे किसी भी दल या विचाराधारा के हों, जिन्होंने देश के लिये अपना जीवन दिया, उनका सब सम्मान करते हैं. यह बात सही है कि सदन में छायाचित्र लगाने की परम्परा रही है, पर हमारा आसंदी से यह निवेदन है कि आप लोकसभा एवं राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं और विधानसभा भी परम्परा के अनुसार ही चलती हैं. आप बहुत धीर-गंभीर और अनुभवी अध्यक्ष हैं. माननीय रामनिवास रावत ने जो प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में आप चाहें तो दोनों दलों के नेताओं की दो-तीन सदस्यों की एक समिति बना दें और इस समिति की बैठक में जो सुझाव आएँ उसको पूरा सदन स्वीकार करेगा.

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश का परम सौभाग्य है कि इस धरती से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री रहे हैं इसलिए इस सदन में उनका छायाचित्र लगाकर सम्मान किया जाना चाहिए.

सर्वश्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, बाला बच्चन, महेश परमार, सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि - इसमें कोई समिति की आवश्यकता नहीं है. यह केवल आपके विवेक पर निर्भर है. जिन महापुरुषों ने भारत के लिए योगदान दिया है, जिन्होंने अपने विचारों से युग बदल दिए, हम किसी का विरोध न करें. आप अनुमति देंगे तो इस सदन में पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के भी छायाचित्र लग सकते हैं.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि अभी तक सदन की यह परम्परा रही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात् कोई बात नहीं होती है. सदन स्थगित होता है. जो भी बात करनी है अगले दिन कर लेंगे.

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - “आप सब लोगों की भावनाएं आ गई हैं. माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात सदन में कह दी है. मैं समझता हूँ कि छायाचित्र लगाने के लिये कोई न कोई प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिये. इस मामले में एक समिति बना दी जाएगी जो सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर, महापुरुषों के नामों का एवं स्थान का चयन करेगी, कब और कहां उनके छायाचित्र लगाने हैं, जो रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम आगामी कार्यवाही करेंगे”.

अपराह्न 1.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 (30 अग्रहायण, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 20 दिसम्बर, 2023

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा